

परिशिष्ट - 4

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

यह प्रमाणित किया जाता है किपुत्री/पुत्री.....
ग्राम.....जिला/मण्डल.....राज्य.....के.....समुदाय के है, जो पिछड़ी जाति के रूप में निम्न के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

- (1) भारत सरकार के गजट में दिनांक 10 सितम्बर 1993 को प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/68/93 - बीसीसी, दिनांक 13 सितम्बर 1993 को अनुभाग नं० 1 नं० 186, भाग-1 में उल्लेख
- (2) भारत सरकार के गजट में दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 को प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/09/94- बीसीसी, दिनांक 20 अक्टूबर 1994 को अनुभाग नं० 1, नं० 163, भाग-1 में उल्लेख।
- (3) भारत सरकार के गजट में दिनांक 24 मई, 1995 को प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/7/95- बीसीसी, दिनांक 25 मई 1995 को अनुभाग नं० 1 नं० 88 भाग-1 में उल्लेख।
- (4) भारत सरकार के गजट में दिनांक 6 दिसम्बर 1996 को प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/44/96 - बीसीसी, दिनांक 11 दिसम्बर 1996 को अनुभाग नं० 1 नं० 210 भाग-1 में उल्लेख।
- (5) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/68/93- बीसीसी, दिनांक 8 जुलाई 1997 को सं० 129 में उल्लेखित।
- (6) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/12/96 - दिनांक 1 सितम्बर 1997 को सं० 164 में उल्लेखित।
- (7) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/99/94 - बीसीसी, दिनांक 11 दिसम्बर 1997 को सं० 236 में उल्लेखित।
- (8) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/13/97 - बीसीसी, दिनांक 3 दिसम्बर 1997 को सं० 239 में उल्लेखित।
- (9) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/12/96 - बीसीसी, दिनांक 3 अगस्त 1998 को सं० 166 में उल्लेखित।
- (10) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/68/93 - बीसीसी, दिनांक 6 अगस्त 1998 को सं० 171 में उल्लेखित।
- (11) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/68/98 - बीसीसी, दिनांक 27 अक्टूबर 1999 को सं० 241 में उल्लेखित।
- (12) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/88/98- दिनांक 6 दिसम्बर 1999 को सं० 270 में उल्लेखित।
- (13) भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रस्ताव सं० 12011/36/99 - बीसीसी, दिनांक 4 अप्रैल 2000 को सं० 71 में उल्लेखित।

श्री.....और/या उसका परिवार सामान्यता.....राज्य केजिला/मंडल.....में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 स्थापना (एससीटी), दिनांक 08-09-1993 एवं भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004, स्थापना (रैंज) दिनांक 9.3.2004 द्वारा परिवर्तित की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित साधन सम्पन्न (क्रीमीलेयर) व्यक्तियों/वर्गों से सम्बन्धित नहीं है।

दिनांक :

जिला मजिस्ट्रेट

मुहर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

उपायुक्त इत्यादि

अधिकारी की मुहर के साथ

विशेष ध्यान दें :- (क) यहां प्रयुक्त "सामान्य" शब्द का वही अर्थ है जो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 20 में उल्लिखित है। (ख) जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों का उल्लेख नीचे दिया गया है। (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलक्टर/प्रथम श्रेणी वित्तिका भोगी मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी वृत्तिका भोगी मजिस्ट्रेट के रैंक से कम न हो), (ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के रैंक से कम न हो (iv) उस क्षेत्र का उपमंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार रहता हो।